कार्यालय : राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : SCERT / शि0शि0सेवापूर्व / 7474-75 / विज्ञप्ति / दो–I(06) / 2020–21, दिनांक 10 मार्च, 2021

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2019–20 में सफल अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउन्सलिंग सम्बन्धी सूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0– 2019–20(1) / विज्ञप्ति / 1164–67 / 2021, दिनाँक 26.02.2021 द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019–20 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 26 फरवरी, 2021 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षाफल (योग्यता सूची / चयन सूची) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर उपलब्ध है। समस्त सफल / चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0(OMR) आवेदन पत्र पर अंकित समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकना का परीक्षण / मिलान मूल प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों से करने एवं प्रशिक्षण के लिए जनपद आवंटन हेतु, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा राज्य स्तरीय काउन्सलिंग राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून के सभागार में दिनांक 05 अपैल 2021 से 23 अप्रैल, 2021 तक निर्धारित की जाती है। चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश SCERT की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त वांछित प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित तिथि को स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : SCERT / शि0शि0सेवापूर्व / 7474-75 / विज्ञप्ति / दो–I(06) / 2020–21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान सम्पादक, दैनिक अमर उजाला / दैनिक जागरण / दैनिक हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10×7 सेमी0 के साइज में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे, जिसका प्रचार–प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड